

सिधा नमस्कार आता जका घ 890 के उका रका
परिगेष्ट (अ. स. स. [क. 890])

[22/7/2026]

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल,

E-mail : fw.dhs@mp.gov.in

क्रमांक/3/प0क0/सेल-1/2026/275

भोपाल, दिनांक 11/07/26

आदेश

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में दायर डब्ल्यूपी. क्रमांक 27019/2025 सपना राठौर, एएनएम का स्थानांतरण के संबंध में।

सपना राठौर, एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र नेवरी जिला देवास के अभ्यावेदन दिनांक 23.06.2025 जिसमें उनके द्वारा संचालनालय के आदेश क्रमांक/3/प.क./सेल-1/439 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा स्थानांतरण जिला देवास से जिला उज्जैन किया गया था।

माननीय उपमुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रस्तुत सूची के स. क्र. 137 द्वारा इनका स्थानांतरण जिला देवास से जिला उज्जैन किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में दायर डब्ल्यूपी. क्रमांक 27019/2025 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 जिसका ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

The petitioner has filed the present petition challenging the legality and validity of the order dated 17.6.2025 whereby the petitioner, who is working on the post of ANM, has been transferred from Dewas to Ujjain which is almost 75 km away from the present place of posting.

Considering the aforesaid submissions and grievance of the petitioner, this Court deems it expedient to dispose off the petition with liberty to the petitioner to file a detailed and comprehensive representation before the competent authority of the respondent within seven days from today and if such a representation is submitted, the same shall be considered and decided by the competent authority in accordance with law within a period of 30 days from the date of filing of the representation, by passing a reasoned and speaking order. The outcome of the said representation shall be communicated to the petitioner.

In view of the aforesaid submissions and the fact that no successor has been posted in place of the petitioner, the operation of the impugned transfer order shall remain stayed and the petitioner shall be allowed to continue at present place of posting till the representation is decided. With the aforesaid direction, the petition is disposed off.

सपना राठौर, एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र नेवरी जिला देवास का स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अधीन किया गया था एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अभ्यावेदन के निराकरण तक स्टे दिया गया था।

अतः सपना राठौर, एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र नेवरी जिला देवास का अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है एवं संचालनालय के आदेश क्रमांक/3/प.क./सेल-1/439 दिनांक 17.06.2025 का पालन करने का आदेश दिया जाता है।

**आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
शिक्षा द्वारा अनुमोदित।**

 11.7.2026

वरिष्ठ संयुक्त संचालक, प.क.
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक/3/प०क०/सेल-1/2026/276

भोपाल, दिनांक 11/07/26

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर म.प्र.।
3. उप संचालक, नोडल अधिकारी (लीगल) कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य इन्दौर जबलपुर इन्दौर जबलपुर।
4. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर, जिला इन्दौर कृपया प्रकरण में तुरन्त पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी एमआईएस, स्थानीय कार्यालय।

 11.7.26.

वरिष्ठ संयुक्त संचालक, प.क.
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
शिक्षा मध्यप्रदेश